न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ दिनांक 13.09.2024

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 137 / 2025
निर्णय दिनांकः 13.09.2025
दायरा दिनांकः 17.07.2023
जीसीएमएस संख्या– 2025 / 248

1. रूखमादेवी पत्नी गोविन्द राम जाति जाट निवासी ग्राम मालकसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू।
2. मुन्नी पुत्री गोविन्द राम जाति जाट निवासी ग्राम मालकसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
3. रामदेवाराम पुत्र गोविन्द राम जाति जाट निवासी ग्राम मालकसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू
4. सुखाराम पुत्र गोविन्द राम जाति जाट निवासी ग्राम मालकसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

................प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थितः

1. **प्रार्थीगण 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता श्री रमेश कुमार।**
2. **अप्रार्थी की ओर से पैरोकार राज।**

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में तहसील सुजानगढ़ के रोही मालकसर के खाता संख्या 8 खसरा नम्बर 152 रकबा 3.0348 है0 स्थित है। प्रार्थी संख्या 1 के पति एवं प्रार्थी संख्या 2 ता 4 के पिता का नाम उपर्युक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में गोमदा दर्ज है। जबकि प्रार्थी संख्या 1 के पति एवं प्रार्थी संख्या 2 ता 4 के पिता का सही व वास्तविक नाम गोविन्द राम है एवं प्रार्थी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड अनुसार जमाबंदी में रूकमादेवी दर्ज है जबकि प्रार्थिनी का सही नाम रूखमा देवी है।

समस्त अन्य दस्तावेजों यथा मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड आदि में भी प्रार्थी संख्या 1 के पति एवं प्रार्थी संख्या 2 ता 4 के पिता का सही नाम गोविन्दराम ही दर्ज है एवं प्रार्थी संख्या 1 का नाम रूखमा देवी अंकित है।

प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थीगण को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में प्रार्थीगण का नाम दुरस्त करवाना प्रार्थीगण के लिए आवश्यक है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिनी संख्या 1 का नाम रूकमादेवी पत्नी गोमदा दर्ज है व प्रार्थी संख्या 2 ता 4 के पिता का नाम गोमदा दर्ज है जबकि अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी संख्या 1 के पति एवं प्रार्थी संख्या 2 ता 4 के पिता का नाम गोविन्दराम व प्रार्थी संख्या 1 का नाम रूखमा देवी दर्ज है। रूकमादेवी व रूखमादेवी दोनों एक ही व्यक्ति है अलग–अलग नहीं है तथा गोमदा व गोविन्दराम दोनों एक ही व्यक्ति है अलग–अलग नहीं है।। तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगणों का नाम रूखमादेवी पत्नी गोविन्दराम, मुन्नी पुत्री गोविन्दराम, रामदेवाराम पुत्र गोविन्दराम, सुखाराम पुत्र गोविन्दराम किये जाने की अभिशंषा की जाती है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज में भी प्रार्थी संख्या 1 के पति एवं प्रार्थी संख्या 2 ता 4 के पिता का नाम गोविन्दराम व प्रार्थी संख्या 1 का नाम रूखमा देवी दर्ज है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

–:आदेशः–

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र राष्ट्रीय लोक अदालत में स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि वाके रोही ग्राम मालकसर के खाता संख्या 8 खसरा नम्बर 152 रकबा 3.0348 है0 में दर्ज खातेदार रूकमादेवी पत्नी गोमदा के स्थान पर रूखमादेवी पत्नी गोविन्दराम व प्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 के पिता का नाम गोमदा के स्थान पर गोविन्दराम दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2025 को टंकित राष्ट्रीय लोक अदालत में करवाया जाकर में सुनाया गया।

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़